मध्यप्रदेश व्यापमं पी.एम.टी. परीक्षा 2013 का फर्जीवाड़ा एवं व्यापमं द्वारा आयोजित की गई अन्य विभागीय परीक्षाओं की सी.बी.आई. जांच से सामने आयेगा मध्यप्रदेश के भा.ज.पा. नेताओं का संरक्षण

मध्यप्रदेश व्यापमं पी.एम.टी. परीक्षा 2013 घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में पी.एम.टी. घ़ोटाले की शिकायतें वर्ष 2009 से सामने आ रहीं थी, परन्तु सत्ता पक्ष के राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। वर्ष 2013 में जब पी.एम.टी. फर्जीवाड़ा सामने आया, तो म.प्र. शासन एवं व्यापमं को परीक्षा परिणाम रोकना था एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोंसलिंग नहीं करानी थी। परन्तु संभवतः सत्ता पक्ष के समझौते के कारण परीक्षा परिणाम घोषित कर एवं कोंसलिंग कर एक व्यापक फर्जीवाड़े को संरक्षण देने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष के संरक्षण के कारण ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही देर से की गई एवं पुलिस की कार्यवाही में अभी तक सत्ता पक्ष के नेताओं के विरूद्ध कोई जाँच प्रारम्भ नहीं की गई है। इसलिए सी.बी.आई. जाँच से ही फर्जीवाड़े को संरक्षण देने वाले सत्ता पक्ष के नेताओं के विरूद्ध जाँच प्रारम्भ हो पायेगी।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल पी.एम.टी. परीक्षा 2013 में लगभग 42000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी।

व्यापमं ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया। व्यापमं के अधिकारियोंकी गड़बड़ी से 1120 परीक्षार्थियों के फार्म गायब, तथा 345 फर्जी छात्र पाये गयेः– व्यापमं ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया। व्यापमं के अधिकारियों की गड़बड़ी से 1120 परीक्षार्थियों के पफार्म गायब, तथा 345 फर्जी छात्र पाये गये, उन्होंने कोर्ट में माना की 1120 विद्यार्थियों ने परीक्षा तो दी है, परन्तु उनके फार्म गायब हैं, क्योंकि व्यापमं अधिकारी, आरोपी नितिन महिन्द्रा में व्यापमं में लगे कम्प्यूटर में गड़बड़ी की है।

मध्यप्रदेश व्यापमं पी.एम.टी. परीक्षा 2013 घोटाले में जगदीश सागर सहित 28 आरोपियों सहित एस.टी.एफ. ने कोर्ट में 3292 केस के चालान के साथ लगभग 92176 से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिससे इस घोटाले की विकरालता प्रतीत होती है।

निरंतर—2

कैसे हुआ पी.एम.टी. घोटालाः–

व्यापमं के अधिकारियों ने दलालों से मिलकर पी.एम.टी. घोटाला किस प्रकार किया गया, कैसे सम्पूर्ण घोटाले को व्यापमं अधिकारियों, दलालों द्वारा मूर्त रूप दिया गया, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसमें व्यापमं अधिकारियों, दलालों की पृथक–पृथक भूमिकाएँ निम्नानुसार हैः–

सी.के. मिश्रा (अधिकारी व्यापमं) :–

सी.के. मिश्रा ने कबूला की 2009 से वह डॉ. सागर, संतोष गुप्ता और संजीव शिल्पकार के लिए काम कर रहे हैं। 2009 में डॉ. सागर ने 20 लड़कों के आवेदन आगे–पीछे सेट करने के लिए दिये थे। हर रोल नम्बर के लिए 50,000 रूपये दिये। इस तरह 10 लाख रूपये मिले थे। 2010 में डॉ. सागर ने 40 लड़कों के आवेदन दिये। इस बार हमें 20 लाख रूपये मिले। इन दोनों वर्षों का रिकार्ड कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क से निकालकर अपने पास रखा है। 2012 में डॉ. सागर ने 60 छात्रों का कॉन्ट्रेक्ट लिया। शिल्पकार ने 20 लड़कों के नम्बर दिये, दोनों ने क्रमशः 30 लाख और 10 लाख दिये।

नितिन महिन्द्रा (प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट) एवं अजय सेन (सीनियर सिस्टम एनालिस्ट):–

व्यापमं के प्रोग्रामर यशवंत परनेकर एवं क्लर्क युवराज हिंगवे ने बयान में बताया कि महिन्द्रा एवं सेन का कम्प्यूटर व्यापमं के मुख्य सर्वर से जुड़ा नहीं था। ये दोनों अधिकारी व्यापमं में लगे शेष 25 कम्प्यूटरों में दर्ज कोई भी जानकारी देख सकते थे। लेकिन इन दोनों ने कम्प्यूटर में क्या दर्ज कर रखा है। ये किसी को पता नहीं होता था। इसी का फायदा उठाते हुए इन दोनों ने बेतरतीब तरीके से रोल नम्बर और परीक्षा केन्द्र जारी किये थे।

(कम्प्यूटर खरीदी भ्रष्टाचार में शासन द्वारा इनको ई.ओ.डब्ल्यू. की कार्यवाही से बचाने का प्रयास किया गया। इन देनों के विरूद्ध वर्ष 2009 में ई.ओ.डब्ल्यू. ने जाँच करने की अनुमति माँगी।)

निरंतर.....3

डॉ. जगदीश सागर (दलाल) :–

डॉ. सागर व्यापमं अधिकारियोंको कागज पर लिखकर देता था कि किस छात्रा को कौन सा रोल नम्बर जारी किया जाये। वर्ष 2013 के लिए डॉ. सागर ने 317, शिल्पकार ने 92 और संजय गुप्ता ने 48 छात्रों के नाम दिये थे। महिन्द्रा ने इन छात्रों का विवरण घर के कम्प्यूटर में दर्ज कर लिस्ट फाड़ दी थी। महिन्द्रा, सेन और मिश्रा रोल नम्बर जारी करते वक्त आगे–पीछे के रोल नम्बर छोड़ देते थे। बाद में फर्जी छात्रों को सेट कर देते थे। घर में रोल नम्बर की सेटिंग कर उसे पेन ड्राइव में लोड कर लेते थे। इसके बाद दफ्तर पहुँचकर रोल नम्बर अपलोड कर देते थे। **बाद में महिन्द्रा डॉ. सागर को फोन कर कहता था कि ''काम हो गया है। वेबसाइट पर चैक कर लो।''**

व्यापमं के संयुक्त नियंत्रक डॉ. संतोष कुमार गॉधी ने खोली महिन्द्रा, सेन की पोलः–

व्यापमं के संयुक्त नियंत्राक डॉ. संतोष कुमार गॉधी ने बयान में बताया कि परीक्षा केन्द्र और रोल नम्बरों का आवंटन कम्प्यूटर शाखा में रेण्डम आधार पर होना था। परीक्षा प्रभारी डॉ. आलोक निगम ने 27 जून 2013 को केन्द्रों की सूची और रोल नम्बर आवंटन की फाईल महिन्द्रा, सेन और मिश्रा को सौंपी। 30 जून को मिश्रा ने लिखा कि रोल नम्बर जनरेट कर दिये हैं। नोटशीट पर यह नहीं लिखा कि, कब, किसने, किसके समक्ष व किस आधार पर और किस प्रक्रिया से आवंटित किये। अपने तरीके से रोल नम्बर जारी किये, जिसका व्यापमं में कोई प्रावधन नहीं है।

इन्दौर पुलिस द्वारा व्यापमं अधिकारियोंको पी.एम.टी. घोटाले की सूचना देनाः–

श्री अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) जिला इन्दौर द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर (पश्चिम) सेटेलाइट भवन, मोती तवेला, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक/पु.अ./पश्चिम/पी.ए./412/2013 इन्दौर दिनांक 19.07.2013 द्वारा पंकज त्रिवेदी नियंत्रक, मध्यप्रदेश व्यापमं को पी.एम.टी. 2013 की परीक्षा के संबंध में थाना राजेन्द्र नगर में अपराध् क्रमांक/539/13 धारा 419, 420, 467, 468 के अन्तर्गत विवेचना करने की जानकारी दी एवं आरोपी के घर से प्राप्त 317 संदिग्ध छात्रों की सूची प्रदान की।

निरंतर.....4

व्यापमं नियंत्रक पंकज त्रिवेदी द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेशात्मक पत्र लिखना :– राजनीतिक संरक्षण के कारण भ्रष्ट कार्य करते हुए भी व्यापमं के परीक्षा नियंत्राक, पंकज त्रिवेदी के हौंसले इतने बुलंद थे कि पी.एम.टी. घोटाला 2013 के संदर्भ में पंकज त्रिवेदी ने प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को एक आदेशात्मक भाषा का पत्र क्रमांक/म.प्र. व्यापमं/4674 भोपाल दिनांक 20.07.2013 लिखा, जिसमें बिन्दु क्रमांक–4 पर पंकज त्रिवेदी ने आदेशात्मक भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया – उक्त तथ्य एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) जिला इन्दौर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक के प्रकाश में प्री मेडीकल टेस्ट 2013 के अन्तर्गत मैरिट सूची में स्थान प्राप्त संदिग्ध फर्जी अभ्यार्थियों को कौंसलिंग के दौरान प्रावधिक रूप से सीट का आवंटन इस शर्त के साथ किया जावे की यदि उपरोक्त अभ्यार्थी की अपराध् क्रमांक–539/13 में पुलिस की जाँच/विवेचना के दौरान संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो इनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

कुल 1120 संदिग्ध् छात्रों ने एस.टी.एफ. द्वारा चिन्हित 876 संदिग्ध् छात्रों में से व्यापमं ने मात्र 345 संदिग्ध छात्रों की परीक्षा निरस्त की :– म.प्र. व्यापमं के पत्र क्रमांक, म.प्र. व्यापमं/6297/2013 भोपाल दिनांक 09.10.2013 में 5 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर अध्याय–4 की धरा 4.12 के अन्तर्गत 876 संदिग्ध् छात्रों में से 345 संदिग्ध् छात्रों की परीक्षा निरस्त करने का वर्णन किया गया है।

पत्र के मुख्य अंश इस प्रकार हैं – ''समिति द्वारा परीक्षण, विश्लेषण, समग्र विचार उपरांत पाया गया कि एस.टी.एपफ. भोपाल एवं क्राइम ब्रांच इन्दौर द्वारा मण्डल को उपलब्ध् कराई गई अभ्यर्थियों की सूची एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध् कराई गई अनुशंसाओं अनुसार 345 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो दोनों सूचियों में उपलब्ध् हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये अभ्यर्थी रोल नम्बर परिवर्तित करवाने संबन्धी षड़यंत्र में शामिल हैं। इनके द्वारा प्रकरण में आरोपियों से सम्पर्क किया गया तथा अभ्यर्थियों के रोल नम्बर जनरेशन उपरांत परिवर्तित किये गये। इस प्रकार 345 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुँचाने की पुष्टि की गई है। प्रतिवेदन में उल्लेखित रोल नम्बर के लॉजिक संबन्धी प्रतिवेदन, पुलिस के द्वारा प्राप्त दस्तावेज, समिति का प्रतिवेदन एवं मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 876 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर बिना किसी कारण अनुचित ढंग से परिवर्तित कर दिये गये हैं। जिनमें 345 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि समिति द्वारा की गई है। इन 345 रोल नम्बरों में से एक पैटर्न वर्क सामने आता है, जिसमें मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी को अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी के साथ सुनियोजित ढंग से क्रम में रोल नम्बर आवंटित किया गया है। किसी भी रेण्डम प्रक्रिया के पालन से ऐसा पैटर्न उभरना संभव नहीं है। अतः इन 345 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त की जाती है।''

निरंतर.....5

<u>नव दुनिया, भोपाल ने 4 जुलाई, 2013 को पी.एम.टी. परीक्षा के तीन दिन पूर्व ही पी.एम.टी. परीक्षा का पर्दाफाश किया –</u> ''भोपाल से प्रकाशित नवदुनिया, भोपाल द्वारा परीक्षा के 3 दिन पूर्व ही पी.एम.टी. परीक्षा के घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था। जिसमें पी.एम.टी. सीट 25 से 42 लाख में बेचने का विस्तार से उल्लेख था। परन्तु सत्ता पक्ष द्वारा इस समाचार के आधार पर कार्यवाही नहीं करने की अपेक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा से इस प्रकाशित समाचार की अनदेखी की गई।''

<u>सत्ता पक्ष के प्रभाव से एम.पी. ऑनलाईन भी इस घोटाले के सच्चे दायरे हैंः–</u> मेडीकल कॉलेजों के एडमिशन के लिए एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से सीट आवंटन के दौरान वेबसाइट पर गड़बड़ी करने की शिकायतें आई हैं। इनमें संबंधित लिंक के अचानक बंद होने और दूसरी बार लिंक खुलने पर पात्र उम्मीदवारों की सीटें आवंटित होने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :– (अ) **शाम 4 बजे** – एलॉटमेंट लेटर की लिंक खोली गई, एक एलॉटमेंट जारी हुआ, वेब पेज पर कुल लिंक–8 (ब) **शाम 6.10 बजे** – एलॉटमेंट लेटर की लिंक बंद कर दी और लिंक हटा दी। शेष लिंक–6 (स) **शाम 6.47 बजे** – रिवाईस अलाटमेंट लेटर की लिंक खुली। एक लेटर जारी, शेष लिंक–6 (द) **रात्रि 8.03 बजे** – निजी मेडीकल कॉलेजों की वेकेंसी और फाइनल राउण्ड एलॉटमेंट की लिंक हटी, शेष लिंक–6 (इ) **रात्रि 9.36 बजे** – एलॉटमेंट लेटर की लिंक हटी। शेष लिंक–2 (ई) **रात्रि 12.30 बजे** – शेष लिंक–1, बाकी सब लिंक हटा दी गईं। सुबह वह पेज करप्ट हो चुका था।

<u>लीक हुआ था पी.एम.टी. का पर्चा ?:–</u> पत्रिका भोपाल के दिनांक 09.07.2013 के अंक में प्रकाशित हुआ कि भोपाल के एक बाबू ने 200 में से 175 प्रश्न शनिवार को बता दिये थे, जबकि परीक्षा रविवार को सुबह थी।

<u>प्रमुख दलालों के नामः–</u>

पहला गिरोह – जगदीश सागर

दूसरा गिरोह – सुधीर राय, संतोष गुप्ता, तरंग शर्मा, दिलीप गुप्ता

तीसरा गिरोह – संजीव शिल्पकार (यह फरार)

निरंतर.....6

पी.एम.टी. घोटाले से पहले एवं बाद में व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ियों सामने आईं:– पी.एम.टी. फर्जीवाड़ा से पहले एवं बाद में व्यापम द्वारा आयोजित जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियॉ सामने आईं, उनमें पुलिस भर्ती परीक्षा, आबकारी परीक्षा, पटवारी चयन परीक्षा, संविदा शिक्षक परीक्षा, परिवहन आरक्षक परीक्षाऐं। इनमें संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं एंव राशि के लेन–देन की शिकायतें पुलिस को की गईं, परन्तु लगता है कि राजनीतिक दबाव के कारण उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने कार्यवाही करने की अपेक्षा पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा भी व्यापमं को सौंप दी।

सत्ता के संरक्षण के परिवहन आरक्षक पद की भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा की अनिवार्यता हटाई गई:– सत्ता के संरक्षण के परिवहन आरक्षक पद की भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा की अनिवार्यता संभवतः इसलिए हटाई गई कि जिससे सत्ता पक्ष के आशीर्वाद से शारीरिक परीक्षा के अयोग्य व्यक्तियों का परिवहन आरक्षक पद पर चयन किया जा सके, जबकि किसी भी आरक्षक पद की परीक्षा में शारीरिक परीक्षा आवश्यक होती है।

सत्ता पक्ष द्वारा व्यापमं के भ्रष्टाचार पर कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा व्यापमं को 64 विभागों की परीक्षा कराने की जवाबदारी दी गई – ''पी.एम.टी. परीक्षा 2013 के घोटाले पर व्यापमं के अधिकारियोंके विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा समय पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि व्यापमं के अधिकारियोंएवं कार्यप्रणालियों की जॉंच करने की अपेक्षा म.प्र. में भाजपा शासित सत्ता पक्ष द्वारा म.प्र. व्यापमं के भ्रष्टाचार को संभवतः प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा 64 विभागों की परीक्षा व्यापमं को सौंप दी गई, जिसमें शासन द्वारा व्यापमं को 53 विभागों की प्रस्ताव भेज दिये गये है।'' इससे प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष द्वारा व्यापमं के भ्रष्टाचार के विस्तारिकरण का प्रयास किया जा रहा है।

''चूँकि यह पी.एम.टी. घोटाला मामला एवं व्यापमं द्वारा अन्य विभागीय परीक्षाओं में किये जा रहे घोटालों के मामले युवा पीढ़ी के साथ किये गये अन्याय से जुड़े हैं। युवाओं के साथ किये गये अन्याय का प्रतिकार करना प्रत्येक राष्ट्रीय नागरिक का कर्त्तव्य है, क्योंकि ऊर्जावान योग्य युवा 21वीं सदी में राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय योगदान कर सकेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर यह लेख युवाओं को समर्पित है।''

(दिग्विजय सिंह)

महासचिव, अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी एवं

पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश